निर्णय सुरक्षित।

उत्तरांचल के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 313/2016

राम सागर .....,, पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो .....~ प्रतिवादी

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 314/2016

राम सागर .....,, पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो .....~ प्रतिवादी

श्री नवनीत कौशिक, पुनरीक्षणकर्ता के वकील।

श्री संदीप टंडन, उत्तरदाता सीबीआई के वकील।

माननीय लोक पाल सिंह, जे0,

दोनों आपराधिक पुनरीक्षण विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ;सीबीआई, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2015 के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसके तहत पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ सीबीआई केस नं0 4/2014 धारा 120बी 420 तथा सीबीआई केस नं0 5/2014 धारा 120बी ए 420 के तहत आरोप तय किए गए थे। दोनों का शीर्षक था. सीबीआई बनाम राम सागर ।

2. इससे पहले दोनों आपराधिक पुनरीक्षणों को इस न्यायालय ने 15.11.2018 के फैसले और आदेश के तहत यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 15.11.2018 के फैसले से व्यथित महसूस करते हुए, पुनरीक्षणकर्ता ने दो आपराधिक अपीलें दायर कीं, जिनमें आपराधिक अपील संख्या 1763/2019 शामिल थी और आपराधिक अपील संख्या 1764/2019 दोनों शीर्षक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, राम सागर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 26.11.2019 के तहत दोनों अपीलों को स्वीकार कर लिया और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय को भेज दिया।

3. दोनों अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश निम्नतः है–

''अनुमति दी जाती है

उच्च न्यायालय ने, हमारी सुविचारित राय में, अनुबंध मामले से संबंधित आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों पर विचार नहीं किया है। इसमें केवल नियुक्तियों और रिकॉर्ड के प्रक्षेप के संबंध में ही चर्चा की गई है। हमने यह भी पाया कि बताए गए कारण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, यदि उच्च न्यायालय द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई की जाती है तो न्याय का हित पूरा होगा ताकि दोनों पक्ष अपना.अपना मामला रखने में सक्षम हो सकें।

आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाता है। दोनों आरोपपत्रों में एकत्रित रिकॉर्ड की सामग्री के आधार पर आरोप तय करने मुक्त करने के पहलू पर नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाता है।

तदनुसार, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। हमें आशा और विश्वास है कि उच्च न्यायालय इस मामले पर यथाशीघ्र निर्णय करेगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।''

4. गुणदोष के आधार पर दोनों संशोधनों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह न्यायालय यह बताना आवश्यक समझता है कि इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की कमी के कारण पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करते समय एक नई याचिका उठाई गई थी कि इस न्यायालय ने दोनों आरोप पत्रों में एकत्र रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर आरोप तय करने मुक्त करने के पहलू पर विचार नहीं किया है और विचार किया है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया है। आपराधिक पुनरीक्षण के आधारों का अवलोकन यह दर्शाता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने कोई आधार नहीं उठाया है कि रिकॉर्ड पर कोई प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे पुनरीक्षणकता के खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर, यह न्यायालय इन आपराधिक पुनरीक्षणों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पुनरीक्षणकर्ता राम सागर प्रासंगिक समय पर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज मनोरा पीक, नैनीताल के निदेशक थे। इस मामले में श्री डीएन भट्ट और अन्य द्वारा दायर डब्ल्यूपीपीआईएल संख्या 07/2012, में पारित इस न्यायालय के दिनांक 16.04.2013 के आदेश पर सीबीआइ, देहरादून शाखा में दर्ज किया गया था। रिट याचिका में 31 अलग.अलग आरोप लगाए गए थे जिन्हें तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आधार बनाया गया था। नतीजतन, एफआईआर आईपीसी की धारा 120बी, 409, 420 और धारा 13(2) के साथ पठित 13(1) (D) के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पुनरीक्षणकर्ता सहित अन्य तीन नामित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई।

6. जांच के दौरान यह पता चला कि कुल 31 आरोपों में से 29 आरोप या तो गलत थे या निदेशक ।त्प्ै या गवर्निंग काउंसिल ।त्प्ै की ओर से प्रक्रियात्मक खामियां पाए गए। जांच के दौरान केवल दो आरोप आपराधिक प्रकृति के पाए गए। चूंकि साजिश के दोनों मामले अलग.अलग प्रकृति के हैं और अलग.अलग किए गए हैं, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ दो अलग.अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे।

7. पुनरीक्षणकर्ता ने पहले निचली अदालत के समक्ष दो आवेदन दायर किए थे, जिसमें दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में मंजूरी के अभाव के प्रारंभिक आधार पर आरोपमुक्त करने की मांग की गई थी । निचली अदालत ने

25.08.2015 को उक्त आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चयन और नियुक्ति करना पुनरीक्षणकर्ता का आधिकारिक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन अवैध रूप से नियुक्ति करना और अभिलेखों में प्रक्षेप करना आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता है। यह भी देखा गया कि संशोधनवादियों द्वारा किये गये कृत्यों को सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में किये गये कृत्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार, पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है । दिनांक 25.08.2015 के आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा मुक्ति के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, पुनरीक्षणकर्ता ने दो आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 319 और 320/2015 इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के समक्ष पेश किये गये जिन्हें दिनांक 06.10.2016 के आदेश के तहत नए सिरे से पुनरीक्षण पेश करने की स्वतंत्रता के साथ निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था।

8. चूंकि पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 05.12.2015 के आदेश के तहत पुनरीक्षणवादी के खिलाफ आरोप तय किए। 05.12.2015 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई केस संख्या 5/2014 में पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए थेः

सबसे पहले, आपने वर्ष 2008–10 के दौरान निदेशक, एरीज़, मनोरा पीक, नैनीताल ;उत्तराखंड, के रूप में तैनात और कार्य करते समय श्री ओम प्रकाश, इंजीनियर 'c' एरीज प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स सूद फ़रीदाबाद के मालिक श्री देस राज सूद और श्री ए एल संधल, मुख्य परामर्श अभियंता मेसर्स टीआरएफआई (जमानत सत्यापन के लिए लगी फर्म) के साथ आपराधिक साजिश रची। आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए सीमेंट, स्टील, सामग्री और मजदूरी के कारण वृद्धि के भुगतान के लिए पत्र, आदेश दिनांक 25.05.2010 के माध्यम से एक फॉर्मूला निकाला गया। भुगतान के लिए आपके द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला संपर्क समझौते में निर्धारित फॉर्मूले से अलग है और अनुबंध समझौते और सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए दोनों वर्गों 10Cc और 10CA को एक साथ लागू करके भुगतान किया गया था। समय विस्तार के लिए आपराधिक साजिश प्रस्ताव को आगे बढ़ाने और ओम प्रकाश, परियोजना अभियंता द्वारा भुगतान के संबंध में दिनांक 25.05.2010 को आदेश जारी करने और आपके तत्कालीन निदेशक एरीज़ द्वारा अनुबंध के निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन करके अनुमोदित किया गया था, और यह एरीज़/भारत सरकार को धोखा देने के लिए किया गया था। मेसर्स सूद एंड सूद और मेसर्स टीआरएफआई ;बिल सत्यापन के लिए लगी फर्मद्ध के एक दूसरे ठेकेदार मालिक के साथ आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने मेसर्स सूद को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अनुबंध के निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन किया। और सूद और फर्म टीआरएफआई और इस प्रकार सरकार को 70,81,346- रुपये की अवैध हानि हुई। (es"k) और आप सभी को अवैध लाभ भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 120 बी सपठित 420 आईपीसी और पी0सी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(d) के तहत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

दूसरे, आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके से बेईमानी और धोखाधड़ी से एक.दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रचकर सरकार (एरीज) को 70,81,34. रुपये की अवैध हानि पहुंचाई। ऐसा आपने एक गलत फार्मूला अपनाकर जिसके तहत अनुबंध समझौते का उल्लंघन करके 10Cc और 10CA दोनों वर्गों को एक साथ अपनाया गया और ब्ॅक् मैनुअल के निर्धारित मानदंड जिसका खंड 32.9 स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस अनुबंध में खंड 10Cc लागू है वहां 10CA लागू नहीं होगा। वृद्धि की गणना करते समय काम पूरा होने की निर्धारित तिथि पर परिचालन और सूचकांकों को भी विफल नहीं किया गया और ठेकेदार को 70,81,34- रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। दोनों धाराओं 10सीए और

10सीसी को गलत तरीके से लागू करना और इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तीसरा, कि आपने उपरोक्त अवधि, स्थान और तरीके से अनुबंध फर्म को अनुबंध कार्य के भुगतान में धोखाधड़ी या बेईमानी से सरकार (एरीज) को गलत लाभ और गलत हानि के रूप में 70,81,346- की अधिक राशि का भुगतान किया है। इस प्रकार आपसी साजिश के तहत संविदा कार्य के भुगतान के लिए गलत फार्मूला अपनाकर लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके धोखा दिया। इस प्रकार लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और इस प्रकार आपने पीसी अधिनियम ए 1988 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(d) के तहत दंडनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

9. 05.12.2015 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई केस संख्या 4/2014 में पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए गए थे–

सबसे पहले, कि वर्ष 2008–09 के दौरान आप निदेशक, एरीज़, मनोरा पीक, नैनीताल उत्तराखंड के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने श्री ओम प्रकाश के साथ आपराधिक साजिश रची और आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए आपने ओम प्रकाश को इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया। लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके एरीज़, मनोरा पीक, नैनीताल में इंजीनियर सिविल के विज्ञापित पद के स्थान पर नोटिंग फ़ाइल में श्अन्य व्यक्तियों के लिएश् और श्नई भारतीश् शब्दों की गलत प्रविष्टियाँ करके। श्री ओम प्रकाश को समायोजित करें ने चयन समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश करने के लिए प्रेरित किया। ओम प्रकाश को विज्ञापित से अधिक ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया और इस प्रकार अन्य संभावित उम्मीदवार जो आवेदन कर सकते थे, वे वंचित रह गये। यदि पद को इंजीनियर श्सीश् के रूप में विज्ञापित किया गया था और उन इच्छुक उम्मीदवारों को भी धोखा दिया गया था, जिन्होंने पुनरू विज्ञापन के मामले में चयन की प्रक्रिया को रोककर इंजीनियर के पद के लिए पुनरू विज्ञापन के खिलाफ आवेदन किया था। इस प्रकार आपने श्री ओम प्रकाश के साथ साजिश करके सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी की तथा श्री ओम प्रकाश इंजीनियर 'C' को विज्ञापित इंजीनियर 'B' के पद के विरुद्ध चयन और नियुक्ति करके चयन समिति के सदस्यों और अन्य इच्छुक उम्मीदवारों को भी धोखा दिया। और इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 120 बी सपठित 420, 477, आईपीसी और पीसी अधिनियम ए 1988 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(d) दंडनीय अपराध किया है। जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

दूसरे, कि आपने उपरोक्त समय, स्थान और तरीके से बेईमानी और धोखाधड़ी से श्री ओम प्रकाश को विज्ञापित पद इंजीनियर 'B' के बजाय इंजीनियर 'C' के रूप में नियुक्त किया गया और आधिकारिक रिकॉर्ड में इंटरपोलेशन करके अन्य संभावित इच्छुक उम्मीदवारों को वंचित कर दिया और चयन समिति के सदस्यों को भी धोखा दिया और इस प्रकार आपने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया। जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तीसरा, कि आपने उपरोक्त समय स्थान और तरीके से बेईमानी और धोखाधड़ी से आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया और श्रीमान के पक्ष में गुप्त उद्देश्य के साथ पोस्ट को फिर से विज्ञापित किया। ओम प्रकाश ने इंजीनियर श्सीश् सिविल की नियुक्ति में पद के स्थान पर इंजीनियर श्बीश् के रूप में विज्ञापित किया और धोखाधड़ी के उद्देश्य से आधिकारिक रिकॉर्ड को धोखाधड़ी से बदल दिया और इस तरह आपने आईपीसी की धारा 477 ए के तहत दंडनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चौथा यह कि आपने उपरोक्त अवधि, स्थान और तरीके से धोखे से या बेईमानी से लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके तथा ओम प्रकाश को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके विज्ञापित इंजीनियर 'B' के बजाय इंजीनियर 'C' की नियुक्ति की। इस प्रकार आपने इस न्यायालय के संज्ञान में पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(d) के तहत दंडनीय अपराध किया। जो कि इस न्यायालय के संज्ञान में है।

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और पूरे रिकार्ड का अवलोकन किया।

11. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील का तर्क होगा कि जहां तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमए 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1)(d) के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है पुनरीक्षणवादी आरोप के उस भाग को चुनौती नहीं दे रहा है। ‚ हालाँकि, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुनरीक्षणवादी पर मुकदमा चलाने के लिए दं0प्र0सं0 की धारा 197 के तहत मंजूरी नहीं ली थी, इसलिए आईपीसी के तहत आरोपों के संबंध में मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है।

12. यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर आरोप तय करनेध्मुक्त करने के पहलू पर विचार करने के लिए इस न्यायालय को भेज दिया गया है, तथापि, आपराधिक पुनरीक्षण के ज्ञापन में कोई आधार नहीं उठाया गया है। न ही इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील द्वारा कोई तर्क दिया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क को सीमित कर दिया है कि **पंजाब राज्य बनाम लाभ सिंह, (2014)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सीबीआई द्वारा अभियोजन के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई है। दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ आरोप तय नहीं किया जाना चाहिए था ।

13. इसके विपरीत, सीबीआई के वकील ने प्रस्तुत किया कि पूरी सामग्री जनहित याचिका अदालत के समक्ष लाई गई थी और अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए, जनहित याचिका का निपटारा सीबीआई को पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में पुनरीक्षक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

14. सीबीआई के विद्वान वकील ने **पुलिस निरीक्षक और अन्य बनाम बट्टेनापटला वेंकट रत्नम और अन्य, (2015) 13 एससीसी 87** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या । उक्त निर्णय के 10 और 11 अंश यहां दिए गए हैं:

> 10. वास्तव में, लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या कष्टप्रद अभियोजन से बचाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत एक विशेष श्रेणी के रूप में माना गया है। उत्पीड़न से ऐसी सुरक्षा सार्वजनिक हित में दी जाती हैय इसे सुरक्षा के लिए ढाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंहए (2012) 3 एससीसी 64, पैरा 74** में, यह माना गया है कि धारा 197 सीआरपीसी से संबंधित प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए ताकि ईमानदारी, न्याय और सुशासन, को बढ़ावा मिल सके। उद्धरण के लिए:
>
> > "74. ...लोक सेवकों को उक्त सुरक्षा का आनंद लेने वाले व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग के रूप में माना जाता है ताकि वे बिना किसी डर और पक्षपात के और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन की धमकियों के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हालांकि, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के खिलाफ उक्त सुरक्षा जो

बढ़ा दी गई थी जनहित में भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा के लिए ढाल नहीं बन सकते। ये प्रावधान अनुच्छेद 14 के समानता प्रावधान के अपवाद हैं सुरक्षात्मक भेदभाव के प्रावधानों के अनुरूप हैं और इन सुरक्षाओं को बहुत संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। मंजूरी से संबंधित इन प्रक्रियात्मक प्रावधानों को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार में वृद्धि के विपरीत ईमानदारी और न्याय और सुशासन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।''

11. धोखाधड़ी, अभिलेखों की हेराफेरी या हेराफेरी में अधिकारी की कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है। उनका आधिकारिक कर्तव्य अभिलेखों को गढ़ना या शुल्क के भुगतान की चोरी और राजस्व को नुकसान की अनुमति देना नहीं है। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने सही विचार रखा है कि यदि मंजूरी के उक्त दृष्टिकोण का अर्थ लगाया जाना है तो यह केवल परीक्षण के चरण में ही किया जा सकता है।''

15. सीबीआई के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि चूंकि किसी भी व्यक्ति या विभाग द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन की मंजूरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सीबीआई द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में विशेष रूप से कहा गया है कि आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष के कुल 14 गवाहों में से 05 अभियोजन गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

16. स्वीकार्य रूप से एफआईआर इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका ;पीआईएल संख्या 7/2012 में पारित आदेश दिनांकित 16.04.2013 के माध्यम से जारी निर्देशों के तहत दर्ज की गई थी। सीबीआई को डब्ल्यूपीपीआईएल में लगाए गए आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और उक्त एफआईआर के आधार पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकारए जब एफआईआर स्वयं पीआईएल कोर्ट के निर्देशों के तहत दर्ज की गई थी तो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क देना कि पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी धारा 197 के तहत मंजूरी की अनिवार्यता थी, यह गलत धारणा है। यह सामान्य बात है कि जब किसी व्यक्ति या विभाग द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता लागू होगी, लेकिन जब एफआईआर दर्ज करने को अदालत के आदेशों के तहत निर्देश दिया गया हो, तो सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णय में दिये गये निर्देशों को पढ़ने के बाद **लाभ सिंह** के मामले में निर्धारित सिद्धानत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। बल्कि **बट्टेनापटला वेंकट रत्नम** के मामले में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुब्रमण्यम स्वामी** के मामले पर भरोसा करते हुए निर्णय दिए गए जिसमें यह माना गया है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रदान की गई मंजूरी की सुरक्षा प्रक्रियात्मक प्रावधान है।

18. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त फैसलों में की गई टिप्पणियों से सहमत है कि तकनीकियों को न्याय प्रदान करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी और बट्टेनापटला वेंकट रत्नम में निर्धारित निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू है। इस प्रकार यह माना जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

19. दोहराव की कीमत पर यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि अनुबंध मामले से संबंधित आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में मामले को दोनों आरोप.पत्रों में एकत्रित रिकॉर्ड की सामग्री के आधार पर नए सिरे से तय करने के/आरोप मुक्ति करने के पहलू पर फिर से सुनने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पुनरीक्षणकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कोई दलील नहीं दी है कि नीचे की अदालत ने पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ कोई सबूत न होने पर भी आरोप तय किए हैं और पुनरीक्षणकर्ता आरोपों से उन्मोचन किये जाने योग्य है। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुएए यह न्यायालय फिर से योग्यता के आधार पर आरोप तय करने/मुक्त करने के पहलू पर मामले का फैसला कर रहा है।

20. सीबीआई केस संख्या 04/2014 में धारा 120 बी, 420, 477 आईपीसी एवं सीबीआई केस संख्या 5/2014 धारा 120 बी, 420 आईपीसी के तहत पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों का अध्ययन किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर इस न्यायालय का मानना है कि स्वयं के अपराधों के संबंध में आरोप रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तय किए गए हैं और यह न्यायालय आश्वस्त है कि प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। पुनरीक्षणकर्ताओं के विरुद्ध भी वही अपराध बनते हैं। रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि संशोधनकर्ता ने एरीज़ के निदेशक के पद पर रहते हुए सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के तहत निर्धारित अनुबंध समझौते का उल्लंघन करते हुए गलत फॉर्मूला अपनाया है, जिससे उसे अतिरिक्त भुगतान किया गया है। ठेकेदार ने फर्जी तरीके से अपनी पसंद के उम्मीदवार को विज्ञापित पद के बजाय उच्च पद पर नियुक्त कर दियाए जो कि निचले पद के लिए था। सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी कर चयन समिति के सदस्यों के साथ भी धोखाधड़ी कीय धोखाधड़ी के उद्देश्य से सरकारी अभिलेखों में धोखे से परिवर्तन किया जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से स्वयं को गलत लाभ हुआ और सरकार को हानि हुई। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से किए गए कपटपूर्ण और बेईमान कार्य किसी भी तरह से, उसके आधिकारिक कर्तव्यों/कार्यों के निर्वहन के दौरान किए गए नहीं कहे जा सकते, सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण पुनरीक्षणकर्ता पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है।

21. सीबीआई केस संख्या 4/2014 में धारा 120बी, 420, 477 आईपीसी तथा सीबीआई केस नंबर 5/2014 में धारा 120 बी, 420 के आईपीसी के तहत आरोप को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ तय किया गया था। यह दोहराया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता ने आपराधिक पुनरीक्षण में कोई आधार नहीं उठाया है कि रिकॉर्ड पर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने पर आरोप तय किए गए हैं। जहां तक पुनरीक्षणकर्ता को आरोप मुक्त करने का सवाल है, पुनरीक्षणकर्ता ने पहले इस न्यायालय के समक्ष ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 के खिलाफ दो पुनरीक्षण दायर किए थे, जिसमें उसके आरोपमुक्त करने के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। दोनों आपराधिक संशोधनों को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2016 के आदेश के तहत नए संशोधनों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था। न तो पुनरीक्षणकर्ता ने प्रार्थना की है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में उसे आरोपमुक्त कर दिया जाए, न ही कोई तर्क दिया गया है कि वह आरोपमुक्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

22. रघुबीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1986) 4 एससीसी 481 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय लिया है–

> ''14. श्री जेठमलानी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि धारा 165.ए के अलावा आरोप.पत्र में उल्लिखित किसी भी अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। हम इस प्रश्न पर कोई राय व्यक्त नहीं करना

चाहते हैं। यह संविधान की धारा 32 के तहत एक याचिका में हमारे द्वारा जांच किए जाने का मामला नहीं है । हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह न्यायालय खुद को मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश की अदालत में परिवर्तित नहीं कर सकता है ताकि वह इस बात पर विचार कर सके कि आरोप तय करने के लिए क्या सबूत हैं या नहीं।

23. पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के अवलोकन के बाद इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि सीबीआई केस संख्या 4/2014 धारा 120 बी , 420 , 477 ए तथा सीबीआई केस संख्या 5/2014 धारा 120बी, 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए विद्वान न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ सही आरोप तय किए हैं। इस प्रकार मेरा सुविचारित विचार है कि निचली अदालत ने पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने में कोई अवैधता नहीं की है।

24. दोनों आपराधिक पुनरीक्षण योग्यता से रहित हैं। तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(लोकपाल सिंह, जे0)

25 जनवरी 2021

नेगी